WITWAVES
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
Vol-1 Issue-2
(International Peer-Reviewed E-Journal)
(November 2024)

मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था

गुंजन निगम
शोधार्थी – इतिहास

शोध सार

मौर्यकालीन प्रशासन लोक- कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी परन्तु इसे निरंकुश नहीं कहा जा सकता कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया। राज्य के सात अंग हैं-राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र।

बीज शब्द

साम्राज्य, अवधारणा, प्रशासन, केंद्रीयकृत।

भूमिका

मौयों ने 321-185 BC काल में मगध साम्राज्य पर शासन किया। इस कालखंड में प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था का स्वरूप केंद्रीकृत था। हम इस शोध पत्र में मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत मौर्यों की सामान्य प्रशासन, राजस्व व्यवस्था एवं न्याय व्यवस्था के बारे में बता रहे है।

शोध विस्तार

मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था केंद्रीकृत प्रशासन था जिसके केंद्र में राजा या सम्राट होता था। हम जानते है की चन्द्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की और कौटिल्य राजतन्त्र का समर्थक था। उसका विश्वास राज्य की सप्तांग विचारधारा पर था जिसमें अमात्य, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र, राजा और जनपद आते है। इसका व्यापक प्रभाव मौर्य राजनीति एवं प्रशासन पर देखने को मिलता है। मौर्य राजतंत्र एक एकीकृत राजतंत्र तो नहीं था किंतु एक विस्तृत साम्राज्य अवश्य था जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर थी। मौर्य साम्राज्य

में प्रशासन सप्तांग विचारधारा पर आधारित था, इसे सुचारु रूप से चलाने के लिये राजा जनपद, मित्र, सेना, कोष एवं दुर्ग राज्य के क्रियान्वयन के अंग थे। मौर्यकालीन राजनीति एवं प्रशासन व्यवस्था को सामान्य प्रशासन, मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था एवं मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के रूप में बांटकर समझा जा सकता। मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था केंद्र से ग्राम तक 6 स्तरों में बंटा था।

केन्द्रीय प्रशासन

इसमें सम्राट तथा उसका मंत्रिपरिषद (केन्द्रीय अधिकारी तंत्र) आते थे। इसे तीन श्रेणियों में बांटा गया था. प्रथम श्रेणी के अमात्य को मंत्रिनः कहा जाता था. इन्हें 48000 पण वार्षिक वेतन मिलता था. द्वितीय श्रेणी के अमात्य मंत्रिपरिषद् के सदस्य होते थे इन्हें 12000 पण वार्षिक वेतन मिला था। तृतीय श्रेणी के अमात्य विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे इन्हें 1000 पण वेतन प्राप्त होता था।

प्रांतीय प्रशासन

मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था के पांच भाग में बंटे होने का पता चलता है जिसके संचालन के लिए सम्राट कुमारात्य (गवर्नर) की नियुक्ति करता था। ये पांच प्रान्त निम्नलिखित थे -

1. उत्तरापथ (राजधानी तक्षशिला)
2. दक्षिणापथ (राजधानी स्वर्णगिरी)
3. पश्चिमी प्रान्त (राजधानी उज्जैन)
4. पूर्वी प्रान्त (राजधानी पाटलिपुत्र)

राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने और प्रशासन एवं सेना का खर्च जुटाने के लिए मौर्य शासकों ने विस्तृत राजस्व प्रणाली की व्यवस्था की। राजस्व अनेक स्त्रोतों से प्राप्त किया जाता था इसमें दुर्ग राष्ट्र, खान, सेतू, वज्र और वणिक पथ प्रमुख है-

1. दुर्ग चुंगी, जुर्माना, जेलखाना, शराब, वस्त्र उद्योग, वेश्या, कारीगर आदि
2. राष्ट्र जनपद से होने वाली आय (भूमिकर, बंदरगाह, सड़कों, चरागाहों की आमदनी)

3. खान खनिज पदार्थों एवं कारखानों से प्राप्त आय
4. सेतू बगीचों से प्राप्त आय
5. वज्र मवेशियों से प्राप्त आय
6. वणिक पथ स्थल मार्ग एवं जलमार्ग उपयोग से संबंधित आमदनी

आमतौर पर कर उगाही की मात्रा निश्चित होती थी लेकिन विपति के समय कर उगाही बढ़ाने की व्यवस्था थी। राज्य की धन की कमी को पूरा करने के लिए उचित एवं अनुचित दोनों प्रकार की कर व्यवस्था का प्रावधान था। राजस्व व्यवस्था का प्रधान समाहर्ता था जो विभिन्न अधिकारीयों की सहायता से राजस्व उगाहता था। राजकीय कोष का देखभाल सन्निधाता करता था राज्य के आर्थिक हितों में क्षति पहुँचाने वालों के लिए कड़े से कड़े दंड यहाँ तक की मृत्युदंड का प्रावधान था।

मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था

मौर्य कालीन प्रशासन के अंतर्गत न्याय व्यवस्था में प्रधान राजा ही होता था। लेकिन राज्य की तरफ से अनेक न्यायालय भी स्थापित किये गये थे। न्यायालय व्यवस्था में भी श्रेणीक्रम की स्थिति प्राप्त होती है यह केन्द्रीय न्यायालय से लेकर ग्राम न्यायालय तक फैली थी। सबसे उपर केन्द्रीय न्यायालय था जो दो प्रकार का होता था धर्मस्थीय और कंटकशोधन, धर्मस्थीय न्यायालय में दीवानी तथा कंटकशोधन में फौजदारी मामलों की सुनवाई होती थी हालाँकि दोनों में बहुत अधिक अंतर नहीं था। दोषियों को अपराध की प्रवृति के आधार पर जुर्माना के साथ-साथ अंग-भंग एवं मृत्युदंड आदि की सजा दी जाती थी आरोपा की यथार्थता की जाँच के लिए विभिन्न उपाय अपनाये जाते थे। मौर्यकाल की आर्थिक स्थिति में व्यापार वाणिज्य पर राज्य का कड़ा नियंत्रण था। माप-तौल का नियमित तौर पर राजकीय कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता था। देशी वस्तुओं पर 5% एवं आयातित वस्तुओं पर 10% विक्रय कर वसूल किया जाता था। कर अवमानना के संबंध में कड़े दंड यहाँ तक की मृत्युदंड तक का प्रावधान था। मौर्य शासन एक केंद्रीकृत सत्ता प्रणाली थी जिसमें राजा सभी शक्तियों का मुखिया होता था। हालाँकि, शासक को मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिपरिषद से सहायता मिलती थी। कौटिल्य के अनुसार, राज्य के 7 तत्व हैं (सप्तांग सिद्धांत): राजा, मित्र, दुर्ग, अमात्य, जनपद, कोष और सेना।

निष्कर्ष स्वरुप हम कह सकते है कि मौर्य साम्राज्य अत्यन्त विस्तृत था, किन्तु फिर भी चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने मन्त्री चाणक्य की सहायता से अत्यन्त सक्षम, सुनियोजित एवं सुसंगठित शासन प्रणाली की स्थापना की थी। इस प्रणाली में कुछ अन्य सुधार कर अशोक ने इसे और भी व्यावहारिक रूप प्रदान किया। स्मिथ ने मौर्य शासन प्रणाली की प्रशंसा करते हुए लिखा है; "मौर्य शासन प्रणाली विस्तृत रूप से नियोजित की गयी थी जिसमें अनेक विभाग तथा अधिकारी थे, जिनके कार्य पूर्णतः स्पष्ट कर दिये गये थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रशासन अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के प्रशासन से कहीं अधिक संगठित था।"

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. मौर्य साम्राज्य का इतिहास /सत्यकेतु विद्यालंकार
2. मौर्यकालीन भारत /कमलापति तिवारी शास्त्री
3. प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत /एल.पी शर्मा एवं एस. एस पुनिया
4. प्राचीन भारत /एल. पी. शर्मा